प्रेस नोट *दिनांक 30.11.2025*

मिशन शक्ति” अभियान फेज-05 के अन्तर्गत नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के दृष्टिगत महिलाओं/बालिकाओं के साथ किये गये अपराध के विरुद्ध शून्य सहनशीलता(Zero Tolerance) की नीति के तहत जनपद पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान एंव मिशन शक्ति 5.0 के अन्तर्गत महिला अपराध में शून्य सहनशीलता के क्रम मे तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण मे क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री अभय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना मधुबन पुलिस पुलिस द्वारा दिनाक 30.11.2025 देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर सिकडी मोड़ के पास से मु0अ0सं0 364/25 धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना मधुबन जनपद मऊ से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त विशाल राजभर पुत्र हरिश्चन्द्र राजभर निवासी भुवालीपुर थाना मधुबन जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1. विशाल राजभर पुत्र हरिश्चन्द्र राजभर निवासी भुवालीपुर थाना मधुबन जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 364/25 धारा 137(2), 87 बीएनएस।

मिशन शक्ति” अभियान फेज-05 के अन्तर्गत नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के दृष्टिगत महिलाओं/बालिकाओं के साथ किये गये अपराध के विरुद्ध शून्य सहनशीलता(Zero Tolerance) की नीति के तहत जनपद पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान एंव मिशन शक्ति 5.0 के अन्तर्गत महिला अपराध में शून्य सहनशीलता के क्रम मे तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण मे क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री अभय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना मधुबन पुलिस पुलिस द्वारा दिनाक 30.11.2025 देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर नन्दौर चट्टी के पास से मु0अ0सं0 386/25 धारा 64, 123, 318(4),

316(2), 352, 351(3) बीएनएस व 67ए आईटी एक्ट थाना हलधपुर जनपद मऊ से सम्बन्धित शैलेन्द्र कुमार पुत्र विशुन देव ऱाजभर निवासी मीनारपुर थाना बरेसर जनपद गाजीपुर को गिरफ्तार कर चालान न्यायलय किया गया।

अभियुक्त का विवरण -

1. शैलेन्द्र कुमार पुत्र विशुन देव ऱाजभर निवासी मीनारपुर थाना बरेसर जनपद गाजीपुर

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 386/25 धारा 64, 123, 318(4), 316(2), 352, 351(3) बीएनएस व 67ए आईटी एक्ट थाना हलधपुर जनपद मऊ।

04 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के क्रम में चलाये जा रहे अभियान के क्रम अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्येवेक्षण में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देख भाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर दिनांक 30.11.2025 को थाना कोपागं पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण 1. कन्हैया पुत्र नागेश्वर राम निवासी समस्तीपुर भुलईडीह, 2. श्री प्रकाश पुत्र नागेश्वर राम निवासी समस्ती पुर भुलईडीह 3. गुड्डू उर्फ न्याज पुत्र इरसाद निवासी फैजनगर अदरी थाना कोपागंज जनपद मऊ व थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त इन्दल पुत्र बृजमोहन निवासी अतरसंवा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

महिला एच्छिक ब्यूरो के प्रयास से 06 दंपती साथ साथ रहने को हुए राजी, 72 मामलों में से 21 मामलों का हुआ निस्तारण-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में आज दिनांक 30.11.2025 को महिला एच्छिक ब्यूरो की बैठक पुलिस कार्यालय में सम्पन्न हुयी। इस दौरान एच्छिक ब्यूरो के सदस्यो के समक्ष कुल 72 मामले आये जिसमें एच्छिक ब्यूरो के सदस्यो के प्रयास से 21 मामलों का निस्तारण हुआ तथा 06 दंपति पिंकी/रामाशीष,निर्मला/उदयराज,रिंकी/विशाल,शमसुलहसन/आशियां, ,मोहसिना/इजहार,मोत्तसिर/संजीदा हैं। आपसी मतभेद भुलाकर एक दुसरे के साथ रहने को राजी हुए।

15 फाईलें पक्षकारों की उदासीनता से बन्द की गयी तथा 02 मामले में एफआईआर हुआ। अन्य मामलों के निस्तारण हेतु ब्यूरो की बैठक की अगली तारीख 14.12.2025 दी गयी है। एच्छिक ब्यूरो की बैठक में अर्चना उपाध्याय ,सर्वेश दूबे,शाहिद पैरिस ,मौलवी अरशद रहे। साथ में एस आई समरजीत यादव तथा महिला आरक्षी पूनम पाल,करिश्मा राय उपस्थित रही।

सादर अवगत कराना है कि थाना घोसी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पकड़ी बुजुर्ग में दिनांक 29.11.2025 को समय करीब 9:30 पर सूचना मिली की एक महिला आरती पत्नी मनोज राजभर का शव कमरे मे पंखे से लटका है स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुचकर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, तथा विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

एक बाईक पर चार व्यक्तियों द्वारा स्टंटबाजी करते हुए घोसी पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मऊ श्री इलामारन जी के आदेश के अनुपालन में थाना क्षेत्र के शोहदों के विरुध्द नियमानुसार कार्यवाही के क्रम में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अनुप कुमार, श्रीमान क्षेत्राधिकारी घोसी महोदय श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक 30.11.2025 को थाना घोसी पुलिस टीम द्वारा कस्बा घोसी मे मधुबन मोड पर वाहन चेकिंग किया जा रहा था तभी चार व्यक्तियों क्रमश: 1.अमित कुमार पुत्र अनिल उम्र 22 वर्ष मानिकपुर असना थाना घोसी जनपद मऊ 2. आकाश कन्नौजिय पुत्र बेचू उम्र 20 वर्ष निवासी बडागांव थाना घोसी जनपद मऊ 3. धर्मप्रकाश पुत्र स्व0 लाल बहादुर उम्र 25 वर्ष निवासी गागेबीर थाना मधुबन 4. अमन राजभर पुत्र अमरजीत राजभऱ उम्र 22 वर्ष निवासी सिन्दा अहिलासपुर थाना मधुबन जनपद मऊ द्वारा एक ही बाईक पर स्टंटबाजी करते हुए पाया गया जिन्हे हिरासत पुलिस में लेकर अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस में चालान किया गया।

अन्जान व्यक्ति द्वारा खाते से फ्रांड की गयी 17998 /- रु0 कुल धनराशि (सतरह हजार नौ सौ अठ्ठानवे) रुपये थाना घोसी साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व

साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना घोसी साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए अन्जान व्यक्ति के द्वारा खाते से फ्रॉड की गयी कुल धनराशि 17998 (सतरह हजार नौ सौ अठ्ठानवे) रुपये, पीडिता प्रतिभा शर्मा निवासी मुस्कुरा थाना घोसी जनपद मऊ । आवेदक के कुल धनराशि 17998 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना घोसी के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।